छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 1475/मुख्यालय/छ.ग.प.सं.मं./2015 रायपुर, दिनांक 30/06/2015

--:: कार्यालय आदेश::--

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 'Ease of Doing Business' के अंतर्गत् आवेदन पत्रों का सरलीकरण, स्वीकृति/अनुमोदन हेतु वांछित प्रकियाओं का सरलीकरण, प्रक्रियाओं के लिए समयसीमा का निर्धारण आदि के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये हैं। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत् जारी किये जा रहे स्थापना सम्मति/संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण के विवरण रजिस्टर में संधारित किये जाने की व्यवस्था है। वर्तमान में उक्त विवरणों को भौतिक रजिस्टर में संधारित किया जाता है। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत् जारी किये जा रहे स्थापना सम्मति/संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण के विवरण अब ऑन लाईन रजिस्टर में संधारित किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01/07/2015 से मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत् जारी किये जाने वाले स्थापना सम्मति/संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण के विवरण ऑन लाईन रजिस्टर में संधारित किया जावे। इस हेतु मंडल की वेबसाईट में आवश्यक व्यवस्था की गई है। उपरोक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित किया जावे।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. 1476/मुख्यालय/छ.ग.प.सं.मं./2015 रायपुर, दिनांक 30/06/2015

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर/बिलासपुर/भिलाई–दुर्ग/रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित। इस संबंध में किसी भी प्रकार के समन्वय हेतु श्री राहुल सोनी, प्रोग्रामर (एनआईसी) से संपर्क किया जा सकता है।
2. सर्व संबंधित अधिकारी, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)